[2018] 1 एस.सी.आर. 679

भूत पूर्व सिग्नलमैन - कान्हात्य कुमार

बनाम

भारत संघ और अन्य

सिविल अपील नंबर (एस). 1804/2018

09 जनवरी, 2018

ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जेजे।

सेना अधिनियम, 1950-धारा 20 (3), 122 (4)-सेवा से बर्खास्तगी का औचित्य- अपीलार्थी की सिपाही/वाशरमैन के रूप में सेना में नामांकित, नकली संबंध प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन प्राप्त करने के लिए सेवा से बर्खास्त-अपीलकर्ता द्वारा बनाया गया प्रतिनिधित्व, उत्तरदाताओं द्वारा खारिज कर दिया गया-मूल आवेदन (ओए) ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर उक्त आदेश को चुनौती दी-एएफटी ने सेवा से अपीलकर्ता की बर्खास्तगी को बरकरार रखा-अपीलकर्ता की याचिका कि 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस मामले में एक जाँच होनी चाहिए अवधारित किया गया कि संधार्य नहीं है। टेनबल नहीं-अपीलकर्ता ने खुद को कारण बताओ नोटिस के जवाब में स्वीकार किया कि उसके पिता एक पूर्व-सेवा आदमी नहीं थे और उनके द्वारा निर्मित संबंध प्रमाण पत्र नकली था-बर्खास्तगी की शक्ति या उसे हटाना धारा 20 (3) के अधीन किया जा सकता है यदि अपचारी को कार्रवाई के कारण के बारे में सूचित किया गया है और लिखित में किसी भी कारण से राज्य को उचित समय देने की अनुमति दी गई है, तो उसे सेवा से बर्खास्तगी/हटाने के खिलाफ आग्रह करना पड़ सकता है।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को ऐसा अवसर दिया गया था-अपीलकर्ता को धोखाधड़ी करके नामांकन मिला-धोखाधड़ी पूरी कार्रवाई को समाप्त कर देती है-गलत किया गया व्यक्ति अपने स्वयं के गलत का लाभ नहीं उठा सकता है-अधिकारी धारा 20 (3) के अधीन अपनी शक्ति का उपयोग करने के अपने अधिकार के भीतर अच्छी तरह से थे। सशस्त्र बल-सेना नियम, 1954-

1.17-सेवा कानून-धोखाधड़ी-अधिकतम-"नुल्लस कमोडम केपरे पोटेस्ट डी इंजुरिया सुआ प्रोप्रिया"। धोखाधड़ी-धोखाधड़ी करके प्राप्त रोजगार-परिणाम-चर्चा।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अवधारित किया कि-

1.1 सेना अधिनियम, 1950 की धारा 20 के साथ-साथ सेना नियम, 1954 के नियम 17 के एक पठन से पता चलता है कि धारा 20 (3) के तहत बर्खास्तगी या हटाने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है यदि अपचारी को उसके दोषों में बारे में सूचित किया गया है और उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया हो कि उसे सेवा से- किसी भी कारण से उसे अपनी बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के खिलाफ आग्रह करना पड़ सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को ऐसा अवसर दिया गया था। आरोप का आकलन यह था कि उसे फर्जी संबंध प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन मिला था। यह उचित है कि जवाब में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनके द्वारा निर्मित संबंध प्रमाण पत्र नकली था। इस प्रकार, सेना नियम, 1954 के नियम 17 में निहित प्रक्रिया का सार्भूत रूप से पालन किया गया था। [पैरा 9] [684-ई-जी]

1.2 यह भी स्वीकार किया गया है कि लेकिन उक्त फर्जी संबंध प्रमाण पत्र के लिए अपीलकर्ता को सेना में नामांकन नहीं मिल सकता था। इस प्रकार, उन्होंने एक धोखाधड़ी खेलकर नामांकन प्राप्त किया। धोखाधड़ी पूरी कार्रवाई को समाप्त कर देती है और ऐसे मामले में अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त नामांकन, जो धोखाधड़ी थी। यदि कोई भी रोजगार धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है, तो उसे कानून की अदालत द्वारा नहीं माना जा सकता है क्योंकि धोखाधड़ी द्वारा सुरक्षित रोजगार नियोक्ता के विकल्प पर इसे शून्य कर देता है। [पारस 10, 11] [684-जीएच; 685-ए-बी]

भारत संघ एवं अन्य बनाम और एम. भास्करन [1995] 4 सप्ली. एस.सी.आर. 526: (1995) 4 सप्ली. एस.सी.सी. 100-पर निर्भर।

1.3 पूर्वोक्त परिदृश्य में, अपीलार्थी का यह तर्क कि सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, पूरी तरह से अस्थिर है। अन्यथा, जब अपीलकर्ता ने खुद स्वीकार किया था कि उसके द्वारा निर्मित संबंध प्रमाण पत्र नकली था, तो सेना अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निर्धारित प्रक्रिया एक खाली औपचारिकता होगी। गलत काम करने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के गलत लाभ का लाभ नहीं उठा सकता है और कानून को

विफल करने के लिए एक सक्षम अदालत द्वारा परीक्षण को बाधित होने का अभिवाक नहीं कर सकता है। [पारस 14,15] [687-डी-एफ]

भारत संघ और अन्य मेजर जनरल मदन लाल यादव (सेवानिवृत्त) [1996] 3 एससीआर 785: (1996) 4 एससीसी 127; राम सरन बनाम पुलिस, सीआरपीएफ और ओआरएस के आईजी. [2006] 1 एससीआर 1102: (2006) 2 एससीसी 541; राजेश्वर बाबूराव बोन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2015] 8 एससीआर 745: (2015) 14 एससीसी 497-- पर निर्भर।

उपाध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम गिरधारीलाल यादव (2004) 6 एससीसी 325-संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ-

[1995] 4 सप्ल. एससीआर 526 पैरा 11 पर निर्भर (2004) 6 एससीसी 325 पैरा 11 को संदर्भित [2006] 1 एससीआर 1102 पैरा 12 पर निर्भर [2015] 8 एससीआर 745 पैरा 13 पर निर्भर [1996] 3 एससीआर 785 पैरा 15 पर निर्भर सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील नं. 1804/2018 आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओए 1608/2016 में पारित आदेश दिनांकित 28.02.2017 से मंजूनाथ मेलेड, अनुज सैनी, गोविंद, अनिल कुमार, सलाहकार- अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय **ए. के. सिकरी, जे.**, द्वारा दिया गया-

1. अपीलकर्ता ने यह अपील साथ ही सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में प्रधान पीठ (संक्षेप में, 'एएफटी') द्वारा पारित दिनांक 28.02.2017 के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया है। वर्तमान अपील को दायर करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन को जिसे एएफटी ने एक अलग आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

2. अपील करने के लिए अनुमति स्वीकृत की जाती है।

3. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को 19.01.2009 को सेना में सिपाही/वाशरमैन के रूप में नामांकित किया गया था। लगभग 6 वर्षों की सेवा के बाद 08.10.2014 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें धोखाधड़ी के अपराध का आरोप लगाया गया था। फर्जी संबंध प्रमाण पत्र के आधार पर सेना में नामांकन।

13.03.2015 को, प्रतिवादी अधिकारियों ने सेना अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे समय में नहीं लिया गया क्योंकि उसने ए.एफ़.टी के समक्ष ओ.ए.नं. 773/2015 दायर किया था जिसमें अपीलकर्ता के प्रत्यावेदन को तय करने के लिए एक निर्देश के साथ निपटाया गया था। 09.08.2016 को उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता के प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने 09.08.2016 के आदेश को चुनौती देते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 14 के तहत मूल आवेदन को प्राथमिकता दी।

4. यह ध्यान दिया जा सकता है कि औपचारिक मूल आवेदन को स्वीकार किए बिना, एएफटी ने संबंधित दस्तावेजों का प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी को निर्देशित किया था। उक्त दिशा के अनुपालन में, संबंध प्रमाण पत्र दिनांक 09.08.2004 को दिनांक 05.11.2014 को उत्तर के साथ दिया गया था।

अपीलकर्ता द्वारा प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में अपीलकर्ता ने विशेष रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसके पिता एक पूर्व सैनिक नहीं थे और वास्तव में, उन्होंने एक नकली संबंध प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर उस पर भरोसा किया था। सेना से संबंधित रिकॉर्ड नं। उत्तरदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए 14224588 ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि संख्या ओंकार मल गुजर के संबंध में है।

5. पूर्वोक्त स्वीकार किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एएफटी ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता को नकली संबंध प्रमाण पत्र का उपयोग करके सेना में नामांकन मिला था, इसलिए धोखाधड़ी नामांकन के आधार पर सेवा से उसकी बर्खास्तगी पूरी तरह से उचित थी और कोई गलती नहीं पाई जा सकती थी, स्थापना द्वारा पारित बर्खास्तगी का आदेश।

6. हमारे सामने अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र आधार यह है कि सेना अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3) के तहत बर्खास्तगी का आदेश नहीं हो सकता था और इस सामान्य शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता था जब कोई विशिष्ट प्रावधान हो, सेना अधिनियम, 1950 की धारा 122 (4) में निर्धारित ऐसे मामलों से निपटने के लिए। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय के क्षेत्र में निर्धारित कानून के अनुसार, सामान्य प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है जब इससे निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान हो।

7. पूर्वोक्त सामग्री की सराहना करने के लिए हम धारा 20 के साथ-साथ सेना अधिनियम, 1950 की धारा 122 को पुनः प्रस्तुत करते हैं।

"20. सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों द्वारा बर्खास्तगी, निष्कासन या कटौती। -

(1) सेना प्रमुख एक अधिकारी के अलावा इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकता है।

(2) सेना प्रमुख एक निचले ग्रेड या रैंक या रैंक, किसी भी वारंट अधिकारी या किसी भी गैर-कमीशन अधिकारी को कम कर सकता है।

(3) एक अधिकारी जिसके पास ब्रिगेड या समकक्ष कमांडर या किसी निर्धारित अधिकारी से कम शक्ति नहीं है, वह किसी अधिकारी या कनिष्ठ कमीशन अधिकारी के अलावा उसकी कमान के तहत सेवारत किसी भी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकता है।

(4) उप-धारा (3) में उल्लिखित कोई भी अधिकारी अपने आदेश के तहत किसी भी ग्रेड या रैंक या रैंक, किसी भी वारंट अधिकारी या किसी भी गैर-कमीशन अधिकारी को कम कर सकता है।

(5) इस धारा के तहत रैंक में कमी करने वाले एक वारंट अधिकारी को, हालांकि, एक सिपाही के रूप में रैंक में सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(6) एक कार्यवाहक गैर-कमीशन अधिकारी का कमांडिंग अधिकारी उसे गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में अपने स्थायी ग्रेड पर वापस जाने का आदेश दे सकता है, या यदि उसके पास रैंक से ऊपर कोई स्थायी ग्रेड नहीं है, तो रैंक तक।

(7) इस धारा के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम में निहित उक्त प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन होगा।" परीक्षण के लिए सीमा की अवधि-(1) उप-धारा (2) द्वारा प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति के कोर्ट-मार्शल द्वारा कोई भी परीक्षण तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू नहीं किया जाएगा। [और ऐसी अवधि शुरू होगी,-(ए) अपराध की तारीख को; या (बी) जहां अपराध के आयोग को अपराध से पीड़ित व्यक्ति या कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पता नहीं था, पहले दिन जिस पर ऐसा अपराध आता है ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में या प्राधिकरण, जो भी पहले हो; या (सी) जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, पहले दिन जिस पर अपराधी की पहचान अपराध से पीड़ित

व्यक्ति या कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ज्ञात होती है, जो भी पहले हो।] (2) उप-धारा (1) के प्रावधान सैन्य अभित्यजन या धोखाधड़ी नामांकन के अपराध के लिए या धारा 37 में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए मुकदमे पर लागू नहीं होंगे। (3) समय उल्लेख की अवधि की गणना में उप-धारा (1) में, किसी भी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा युद्ध के कैदी के रूप में, या दुश्मन के क्षेत्र में, या अपराध के कमीशन के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए, बाहर रखा जाएगा। (4) सक्रिय सेवा पर सैन्य अभित्यजन के अलावा या धोखाधड़ी के नामांकन के अपराध के लिए कोई परीक्षण शुरू नहीं किया जाएगा यदि प्रश्न में व्यक्ति, एक अधिकारी नहीं है, तो बाद में अपराध का आयोग, नियमित सेना के किसी भी हिस्से के साथ तीन साल से कम समय तक अनुकरणीय तरीके से लगातार सेवा करता रहा।

8. यह सेना के नियमों, 1954 के नियम 17 पर ध्यान देने के लिए भी उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार हैः

"17. सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों द्वारा बर्खास्तगी या निष्कासन।-उस मामले में जहां किसी व्यक्ति को बर्खास्त किया जाता है या आचरण के आधार पर सेवा से हटा दिया जाता है, जिसके कारण उसे आपराधिक अदालत या कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराया जाता है, कोई भी व्यक्ति धारा 20 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत खारिज या हटाया नहीं जाएगा; जब तक कि उसे उसके खिलाफ कार्रवाई के कारण के बारे में सूचित नहीं किया गया है और किसी भी कारण से लिखित रूप में राज्य करने के लिए उचित समय की अनुमति दी जा सकती है, उसकी बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के खिलाफः

बशर्ते कि अगर बर्खास्तगी या हटाने का आदेश देने के लिए सक्षम अधिकारी की राय में, इस नियम के प्रावधानों का पालन करना समीचीन या यथोचित व्यावहारिक नहीं है, तो वह उस प्रभाव को प्रमाणित करने के बाद, प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना बर्खास्तगी या हटाने का आदेश दे सकता है। इस नियम में निर्धारित किया गया है। इस नियम के तहत बर्खास्तगी या हटाने के सभी मामले जहां निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है, केंद्र सरकार को सूचित किया जाएगा।

9. सेना अधिनियम, 1950 की धारा 20 के साथ-साथ सेना नियम, 1954 के नियम 17 के नियम 20 को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 20 (3) के तहत बर्खास्तगी या हटाने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है यदि कार्रवाई के कारण के बारे में विशेष रूप से सूचित किया

गया है और किसी भी कारण से लिखित रूप में राज्य को उचित समय देने की अनुमति दी जा सकती है कि उसे अपनी बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के खिलाफ आग्रह करना पड़ सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को ऐसा अवसर दिया गया था। आरोप का आधार यह था कि उसका नामांकन, एक नकली संबंध प्रमाण पत्र के आधार पर मिला था। यह उचित है कि जवाब में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनके द्वारा निर्मित संबंध प्रमाण पत्र नकली था। इस प्रकार, सेना नियम, 1954 के नियम 17 में निहित प्रक्रिया का काफी पालन किया गया।

10. यह भी स्वीकार किया गया है कि लेकिन उक्त फर्जी संबंध प्रमाण पत्र के लिए अपीलकर्ता को सेना में नामांकन नहीं मिल सकता था। इस प्रकार, उन्होंने एक धोखाधड़ी खेलकर नामांकन प्राप्त किया। धोखाधड़ी पूरी कार्रवाई को समाप्त कर देती है और ऐसे मामले में अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त नामांकन, जो धोखाधड़ी थी।

11. यह इस न्यायालय द्वारा बार-बार आयोजित किया गया है। भारत संघ एवं अन्य बनाम भास्करन के मामले में, “इस न्यायालय ने एक दृढ़ और कठोर संदेश दिया कि यदि कोई भी रोजगार धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है, तो उसे कानून की अदालत द्वारा नहीं माना जा सकता है क्योंकि धोखाधड़ी द्वारा सुरक्षित रोजगार इसे नियोक्ता के विकल्प पर शून्य बनाता है। इस पद को उपाध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन _ और अन्र _ वी में दोहराया गया था। गिरधारीलाल यादव, "12। इसी तरह, राम सरन बनाम पुलिस, सीआरपीएफ और ओआरएस के आईजी।" जहां अपीलार्थी पुलिस कांस्टेबल के पद पर काम कर रहा था और उसकी सेवाओं को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करने के आधार पर सेवा में शामिल होने के 27 साल बाद समाप्त कर दिया गया था, इस तरह की समाप्ति को कानून में वैध माना गया था। इस प्रक्रिया में चर्चा इस प्रकार हैः "6. जवाब में, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक अनुशासित बल में जाली दस्तावेज के आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए उदार दृष्टिकोण लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह बताया गया कि भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निहित बाध्यकारी निर्देशों का आधार, ओम नं. 11012/7/91 अनुमान। (ए) दिनांक 19-5-1993 (जीओ नं। 1993 का 29) सेवा से बर्खास्तगी एकमात्र दंडनीय था। वास्तव में, डीआईजी, सीआरपीएफ ने प्रस्तावित सजा से अलग होते हुए उक्त निर्देशों का उल्लेख किया था। सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 24 इस प्रकार हैंः "24. बर्खास्तगी या हटाने पर सेवा का ज़ब्त-किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करना या हटाना, उसकी पिछली सेवा को जब्त करना होता है।"

8. अदालतों को प्रशासक के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अव्यवस्था से ग्रस्त हो या अदालत के विवेक के लिए चौंकाने वाला हो, इस अर्थ में कि यह तर्क या नैतिक मानकों की अवहेलना थी। एसोसिएटेड प्रांतीय पिक्चर हाउसेस लिमिटेड बनाम वेडनेसबरी कारपोरेशन में जो कहा गया है, उसे देखते हुए। [(1948) 1 केबी 223: (1947) 2 ऑल ईआर 680 (सीए)] आमतौर पर वेडनेसबरी मामले के रूप में जाना जाता है [(1948) 1 केबी 223: (1947) 2 ऑल ईआर 680 (सीए)] अदालत प्रशासक द्वारा उसके लिए खोले गए विकल्प की शुद्धता के विरुद्ध नहीं जाएगा।

1 1995 सप्लीमेंट। (4) एससीसी 100 (2004) 6 एससीसी 325 3 (2006) 2 एससीसी 541 और अदालत को अपने निर्णय को प्रशासक के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है न कि निर्णय। (वी। रमना वी। एपी देखें। एसआरटीसी [(2005) 7 एससीसी 338:2006 एससीसी (एल एंड एस) 69]।)

9. आर। विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य [(2004) 2 एससीसी 105:2004 एससीसी (एल एंड एस) 350] में यह निम्नानुसार देखा गया थाः (एससीसी पीपी। 116-17, पैरा 19)

"19. इसके बाद श्री रंजीत कुमार अपीलकर्ता के लिए वकील ने तर्क रखा कि चूंकि अपीलकर्ता ने लगभग 27 साल की सेवा प्रदान की है, इसलिए बर्खास्तगी के आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए या सेवा से हटाने के लिए पेंशन लाभ की रक्षा करना चाहिए। हमें इस सबमिशन में भी कोई पदार्थ नहीं मिला। वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार सार्वजनिक सेवा में पूरी तरह से वैधानिक हैं। अपीलार्थी ने एक पद के खिलाफ नियुक्ति एक आरक्षित उम्मीदवार के लिए एक गलत जाति प्रमाण पत्र का उत्पादन करके और एक धोखाधड़ी खेलकर प्राप्त किया था। इस पद पर उनकी नियुक्ति कानून की नजर में शून्य और अस्तित्व हीन थी। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन या पेंशन का अधिकार वैध और कानूनी नियुक्ति से मिलता है। पेंशन और मौद्रिक लाभों का परिणामी अधिकार केवल तभी दिया जा सकता है जब नियुक्ति वैध और कानूनी हो। ऐसे लाभ ऐसे मामले में नहीं दिए जा सकते हैं जहां नियुक्ति धोखाधड़ी के लिए प्राप्त की गई थी। एक व्यक्ति जिसने एक गलत जाति प्रमाण पत्र का उत्पादन करके सेवा में प्रवेश किया और अनुसूचित जाति के लिए पद के लिए नियुक्ति प्राप्त की, इस प्रकार उस पद पर नियुक्ति के लिए एक वास्तविक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को वंचित करना, इस न्यायालय की किसी भी सहानुभूति या भोग के लायक नहीं है।

एक व्यक्ति जो इक्विटी चाहता है उसे साफ हाथों से आना चाहिए। वह, जो झूठे दावों के साथ अदालत में आता है, इक्विटी की वकालत नहीं कर सकता है और न ही अदालत को इक्विटी न्यायशास्त्र का उपयोग करने के लिए उचित ठहराया जाएगा। एक व्यक्ति जो इक्विटी चाहता है उसे निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से कार्य करना चाहिए। धोखाधड़ी करके झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति के मामले में इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कोई सहानुभूति और न्यायसंगत विचार उसके बचाव में नहीं आ सकता है। हमारा विचार है कि इक्विटी या करुणा को कानून के हथियारों को मोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का अभ्यास करके एक स्थिति हासिल की हो।

13. राजेश्वर बाबूराव बोन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके अपीलकर्ता द्वारा नियुक्ति प्राप्त की गई थी। उसके आधार पर उसकी सेवा समाप्ति को वैध ठहराया गया। पैरा 12 इस प्रकार है-

"12. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि आक्षेपित आदेश में [राजेश्वर बाबूराव बोन बनाम महाराष्ट्र राज्य, डब्ल्यूपी नं। 2012 के 5160, आदेश दिनांक 17-12-2013 (बम)] उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह अपील खारिज होने के योग्य है। हालाँकि, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता के प्रमाण पत्र पर विचार करने में देरी के कारण, अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही प्राप्त प्रमाण पत्र का लाभ यह स्पष्ट करते हुए परेशान नहीं किया जाएगा कि अपीलार्थी सेवा में बने रहने के लाभ सहित भविष्य में आरक्षण का कोई और लाभ लेने का हकदार नहीं होगा।

14. पूर्वोक्त परिदृश्य में, अपीलकर्ता का यह तर्क कि सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, पूरी तरह से अस्थिर है। अन्यथा, जब अपीलकर्ता ने खुद स्वीकार किया है कि उसके द्वारा निर्मित संबंध प्रमाण पत्र नकली है, तो सेना अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निर्धारित प्रक्रिया एक खाली औपचारिकता होगी।

15. भारत संघ और अन्य बनाम मेजर जनरल मदन लाल यादव (सेवानिवृत्त), के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि गलत काम करने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के गलत और किसी भी कानून के प्रतिबंध का लाभ नहीं उठा सकता है ताकि एक सक्षम अदालत द्वारा वैध मुकदमे को विफल किया जा सके और इस प्रक्रिया में, अदालत ने लैटिन मैक्सिम “नुल्लस कमोडम कैपेरे पोटेस्ट डी इंजुरिया सुआ प्रोप्रिया”, का सहारा लिया गया है।

16. इसलिए, हमारी राय है कि अधिकारी अपने अधिकार के भीतर अच्छी तरह से थे जिन्होंने सेना अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया।

17. तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज।

4 (2015) 14 एससीसी 497; 5 (1996) 4 एससीसी 127

दिव्या पांडे

Jai Shankar Mishra